हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 112

मंगलवार, 29 मार्च, 2016/9 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने और श्री रिखी राम कौंडल ने आज नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें हमारा कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। 25 मार्च, 2016 को हिन्दुस्तान टाईम्ज़ में खबर छपी थी, "H.P. Chief Minister forges papers to legitimize illegal income" और आज तक उसकी कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है। आज फिर यही समाचार टाईम्ज़ ऑफ इण्डिया ने छापा है कि "Himachal CM forges documents, finds ED." प्रो0प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने भी उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि यह प्रदेश से जुड़ा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, इस पर तुरन्त सदन में चर्चा होनी चाहिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा :-

> **"मुझे आपका नोटिस मिल गया है और उस पर मैंने रूल्ज़ को कंसल्ट कर के विचार किया है।** It is the same thing **जैसा कल मैंने कहा था, यह** ED **के उस केस का ही पार्ट है।** It is not a separate case. This is news. This matter is under investigation and no case can be discussed here because it is likely to prejudice the proceedings going on in the court of law. **इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।** I will not allow this."

<u>11.20 AM</u>

1. <u>प्रश्नोत्तरः</u>

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 3034, 3037, 3039, 3042, 3047 से 3049, 3051 तथा 3052 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3033, 3035, 3036, 3038, 3040, 3041, 3043 से 3046, 3050, 3053 से 3057 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(पूर्वाह्न 11.45 बजे विपक्ष ने माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराए जाने के विरोध में सदन से वॉक आउट किया।)

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1296 से 1299 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

(अपराह्न 12.00 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए)

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **139वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोज़गार विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **140वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोज़गार विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के **42वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 27वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(2010-2011) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **44वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 40वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

3. <u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान</u>

मांग संख्या : 16-वन और वन्य जीवन

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 16-वन और वन्य जीवन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 4,54,47,74,000/- और 8,40,00,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 16 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, महेश्वर सिंह और श्री कृष्ण लाल ठाकुर की ओर से 3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1.) श्री महेन्द्र सिंह
2.) श्री रिखी राम कौंडल

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

मांग संख्या-16 पर चर्चा जारी :-

3.) श्री महेश्वर सिंह
4.) श्री रविन्द्र सिंह

माननीय वन मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वश्री रिखी राम कौंडल, महेश्वर सिंह व श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय वन मन्त्री ने उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्या : 8-शिक्षा

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8-शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 52,62,90,86,000/- और 82,18,63,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 8 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, इन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, बिक्रम सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज और रविन्द्र सिंह की ओर से 3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-
1.) श्री महेन्द्र सिंह
2.) श्री ईश्वर दास धीमान
3.) श्री रिखी राम कौंडल

(सदन की बैठक सांय 5.00 बजे बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)